


कार्यालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 288/2017
वादीगण

1. शोकत पुत्र इब्राहिम
2. छोटी बेवा इब्राहिम
समस्त जाति देशवाली
निवासी लाडाबास,
तहसील डीडवाना,
जिला नागौर राज0।

दायर दिनांक 09.10.2017
प्रतिवादीगण

1. मो0 अली पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
2. रहमत अली पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
3. रूस्तम पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
4. असलम पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
5. खातून बेवा अ. रहमान खोले अलारखा
6. मुंशी पुत्र इशाक पुत्र दीना
7. मजीद पुत्र इशाक पुत्र दीना
8. एजाज पुत्र अजीज पुत्र इशाक पुत्र दीना
9. तालिम पुत्र अजीज पुत्र इशाक पुत्र दीना
10. राबिया बेवा अजीज पुत्र इशाक पुत्र दीना
11. हबीब पुत्र इशाक पुत्र दीना
12. एहसान पुत्र ईशाक पुत्र दीना
13. अयूब पुत्र इशाक पुत्र दीना
14. नौशाद पुत्र अ. गनी पुत्र सतार पुत्र दीना
15. दिलशाद अ. गनी पुत्र सता पुत्र दीना
16. आमना पत्नि सतार पुत्र दीना
17. रहमत पत्नि अब्दुल गनी पुत्र सतार पुत्र
दीना
18. सलीम पुत्र अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
19. समीर पुत्र अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
नाबालिक जरिये कूदरती वलिया संरक्षक
माता जेनब प्रतिवादी सं0 20
20. जेनब बेवा अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
- बनाम् 21. मुर्शीदा बानो पुत्री अ.सलाम पुत्र मुमताज
पुत्र रहीम
22. नाजमीन बानो पुत्री अ.सलाम पुत्र मुमताज
पुत्र रहीम
23. समरीना पुत्री अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र
रहीम
24. एहसान पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
25. आमना पत्नि मुमताज पुत्र रहीम
26. जेनब पुत्री मुमताज पुत्र रहीम
27. आसमा पुत्री मुमताज पुत्र रहीम
28. जलालदीन पुत्र सदीक पुत्र रहीम
29. हनीफ पुत्र सदीक पुत्र रहीम
30. रफीक पुत्र सदीक पुत्र रहीम
31. मुस्तकीम पुत्र सदीक पुत्र रहीम
32. आमना पत्नि सदीक पुत्र रहीम
33. माशेल्ला पुत्री सदीक पुत्र रहीम
34. खेरून पुत्री सदीक पुत्र रहीम
35. यूसुफ पुत्र रहीम
36. याकूब पुत्र रहीम समस्त जाति देशवाली
निवासीगण लाडाबास तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0
37. अ. अजीज पुत्र इब्राहिम जाति देशवाली
निवासी गादड़िया कुआ की ढाणी, निम्बी
खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर
38. तहसीलदार डीडवाना जरिये भूमिधारी राप्
सरकार


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत
बंटवारा, रेकर्ड दुरुस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री इस्लामुदीन वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 29.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा लाडाबास पटवार क्षेत्र बालिया के खेत खसरा सं० 54, 55, 56, 64, 68, 153, 163, 184, 185, 242, 305, 306, 308, 309, 311, 313, 314, 325, 404, 427, 489, 532, 533, 543, 544, 545, 548, 550, 557, 566, 567, 570, 573, 582, 593, 602, 608, 609, 621, 628, 629, 634, 637, 667/319 कुल क्षेत्रफल 384 बीघा 04 बिस्वा भूमि समस्त किस्म भूमि बारानी 2 वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 37 की पैतृक सम्पत्ति खातेदारी, कब्जाकाशत, भोग उपभोग सुदा, आधिपत्य सुदा अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त खसरा सं० में वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 37 के पूर्वज करीम, अलारखा, दीना, रहीम, जमाल पिता इमाम, रमजानी पिता उमर अली के नाम पट्टा बापी लाडाबसनी परगना डीडवाना सियसत जोधपुर दरवार राजस्थान मारवाड़ द्वारा सन् 1944 में जारीसुदा मिला, उक्त बापी पट्टा की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। जिसके अनुसार तत्कालीन समय से ही वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 37 के पूर्वज करीम, अलारखा, दीना, रहीम, जमाल पिता इमाम, रमजानी पिता उमर अली की काशत राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा निरंतर राजस्व रिकार्ड में नाम चला आ रहा था जिसके पश्चात जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली के जीवनकाल में ही उनका हिस्सा भी करीम, अलारखा, दीना, रहीम पिता इमाम के कब्जाकाशत में रहा था तथा देश के स्वतन्त्र होने के दौरान जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली निस्क्रांत पाकिस्तान हो जाने से संवत् 2017 में भू प्रबन्धक राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली का हिस्सा महकमा कस्टोडियम के नाम त्रुटिवश सहवन से 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली का 1/3 हिस्सा ही राजस्व रिकॉर्डनुसार होता था। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा महकमा स्टोडियम के उक्त 2/3 हिस्सा त्रुटिवश सहवन से राजस्व कर्मचारियों की भूलवश लिखा गया है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित में है तथा जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली के जीवनकाल में भी उनका हिस्सा उनके सगे भाई रक्त सम्बन्धी करीम, अलारखा, दीना, रहीम पिता इमाम ने कब्जा काशत करना शुरू कर दिया था तथा वो ही उक्त हिस्से के कब्जाकाशतकारी, आधिपत्यधारी स्वामी थे तथा रमजान वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली के निकटतम रक्त संबन्धी सं० उत्तराधिकारी, वारिस सगे भाई करीम अल्लारखा, दीना, रहीम पिता इमाम ही थे। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि के मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काशतधारी व उत्तराधिकारी व भोग उपभोगकर्ता वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 37 के पूर्वज करीम, अलारखा, दीना, रहीम पिता इमाम ही थे। इस कारण उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा सं० की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 37 की राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करते हुए घोषित किया जाना न्यायहित में है। इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी रिकार्ड दुरुस्ती का वाद लाना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

यह है कि घोषणा खातेदारी, रिकार्ड दुरुस्ती की डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमावें कि मौजा लाडाबास में पटवार क्षेत्र बालिया के खेत खसरा सं० 54, 55, 56, 64, 68, 153, 163, 184, 185, 242, 305, 306, 308, 309, 311, 313, 314, 325, 404, 427, 489, 532, 533, 543, 544, 545, 548, 550, 557, 566, 567, 570, 573, 582, 593, 602, 608, 609, 621, 628, 629, 634, 637, 667/319 कुल क्षेत्रफल 384 बीघा 04 बिस्वा भूमि समस्त किस्म बारानी 2 में वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 37 की हिस्सा 2/3 की खातेदारी घोषित होकर तथा जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली (वर्तमान में कस्टोडियम में दर्ज हिस्सा) के वारिस, उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादीगण को घोषित करते हुए उक्त खसरा में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 06 ता 17 का 1/4 हिस्सा व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्रतिवादी सं० 18 ता 37 का 1/4 हिस्सा घोषित होकर उक्त अनुरूप खातेदारी दुरुस्त होकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी हो।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं० 1 ता 10, 13, 14, 16, 17 का इकबालिया जवाब पेश हुआ, वादी ने अपनी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1430 डिपसंक 01.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। गिरदावरी व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि काश्त की हुई है अतः काश्तसुदा भूमि होने के इनका कब्जा साबित होती है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 - जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2063-2066 प्रदर्शित किये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादीगण ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।


—:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा लाडाबास में पटवार क्षेत्र बालिया के खेत खसरा सं० 54, 55, 56, 64, 68, 153, 163, 184, 185, 242, 305, 306, 308, 309, 311, 313, 314, 325, 404, 427, 489, 532, 533, 543, 544, 545, 548, 550, 557, 566, 567, 570, 573, 582, 593, 602, 608, 609, 621, 628, 629, 634, 637, 667/319 कुल क्षेत्रफल 384 बीघा 04 बिस्वा भूमि समस्त किस्म बारानी 2 में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 37 की 2/3 हिस्सा तथा जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली के वारिस, उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादीगण को घोषित करते हुए उक्त खसरों में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 06 ता 17 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 18 ता 37 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कानूनीय सीमा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कानूनीय सीमा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 288/2017

दायर दिनांक 09.10.2017

वादीगण

1. शोकत पुत्र इब्राहिम
2. छोटी बेवा इब्राहिम
समस्त जाति देशवाली
निवासी लाडाबास,
तहसील डीडवाना,
जिला नागौर राज0।

प्रतिवादी

1. मो0 अली पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
2. रहमत अली पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
3. रूस्तम पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
4. असलम पुत्र अ. रहमान खोले अलारखा
5. खातून बेवा अ. रहमान खोले अलारखा
6. मुंशी पुत्र इशाक पुत्र दीना
7. मजीद पुत्र इशाक पुत्र दीना
8. एजाज पुत्र अजीज पुत्र इशाक पुत्र दीना
9. तालिम पुत्र अजीज पुत्र इशाक पुत्र दीना
10. राबिया बेवा अजीज पुत्र इशाक पुत्र दीना
11. हबीब पुत्र इशाक पुत्र दीना
12. एहसान पुत्र ईशाक पुत्र दीना
13. अयूब पुत्र इशाक पुत्र दीना
14. नौशाद पुत्र अ. गनी पुत्र सतार पुत्र दीना
15. दिलशाद अ. गनी पुत्र सता पुत्र दीना
16. आमना पत्नि सतार पुत्र दीना
17. रहमत पत्नि अब्दुल गनी पुत्र सतार पुत्र
दीना
18. सलीम पुत्र अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
19. समीर पुत्र अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
नाबालिक जरिये कुदरती वलिया संरक्षक
माता जेनब प्रतिवादी सं0 20
20. जेनब बेवा अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
21. मुर्शीदा बानो पुत्री अ.सलाम पुत्र मुमताज
पुत्र रहीम
22. नाजमीन बानो पुत्री अ.सलाम पुत्र मुमताज
पुत्र रहीम
23. समरीना पुत्री अ.सलाम पुत्र मुमताज पुत्र
रहीम
24. एहसान पुत्र मुमताज पुत्र रहीम
25. आमना पत्नि मुमताज पुत्र रहीम
26. जेनब पुत्री मुमताज पुत्र रहीम
27. आसमा पुत्री मुमताज पुत्र रहीम
28. जलालदीन पुत्र सदीक पुत्र रहीम
29. हनीफ पुत्र सदीक पुत्र रहीम
30. रफीक पुत्र सदीक पुत्र रहीम
31. मुस्तकीम पुत्र सदीक पुत्र रहीम
32. आमना पत्नि सदीक पुत्र रहीम
33. माशेल्ला पुत्री सदीक पुत्र रहीम
34. खेरुन पुत्री सदीक पुत्र रहीम
35. यूसुफ पुत्र रहीम
36. याकूब पुत्र रहीम समस्त जाति देशवाली
निवासीगण लाडाबास तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0
37. अ. अजीज पुत्र इब्राहिम जाति देशवाली
निवासी गादड़िया कुआ की ढाणी, निम्बी
खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर
38. तहसीलदार डीडवाना जरिये भूमिधारी राज्य
सरकार

बनाम्

सहायक कलक्टर,
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत
बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 29.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री इस्लामुदीन वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा लाडाबास में पटवार क्षेत्र बालिया के खेत खसरा सं० 54, 55, 56, 64, 68, 153, 163, 184, 185, 242, 305, 306, 308, 309, 311, 313, 314, 325, 404, 427, 489, 532, 533, 543, 544, 545, 548, 550, 557, 566, 567, 570, 573, 582, 593, 602, 608, 609, 621, 628, 629, 634, 637, 667/319 कुल क्षेत्रफल 384 बीघा 04 बिस्वा भूमि समस्त किस्म बारानी 2 में वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 37 की 2/3 हिस्सा तथा जमाल वल्द इमाम, रमजानी वल्द उमर अली (वर्तमान में कस्टोडियम में दर्ज हिस्सा) के वारिस, उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादीगण को घोषित करते हुए उक्त खसरों में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 06 ता 17 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 18 ता 37 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डी.डवाना (भागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डी.डवाना (भागौर)